11-05-2020 (1) Pt. Lec.- Keshav Kumar Shrivastava
College - R.M.M. Law College, Saharsa.
L.L.B. Part IIIrd, Land Law, IVth Paper.

Q.-2- What do you understand by Tenant and Raiyat? Distinguish between Tenant and Raiyat.

प्र- काश्तकार तथा रैयत से आप क्या समझते हैं? काश्तकार तथा रैयत में अन्तर स्पष्ट करें।

उत्तर- बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा-3 में काश्तकार (Tenant) शब्द की परिभाषा है — वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो और जो उस भूमि का लगान भुगतान उसी व्यक्ति को करने के दायित्वाधीन हो अथवा यदि कोई विशेष संविदा न होती तो उसी व्यक्ति को करता। दर रैयत होने के लिए रैयत और दर रैयत के बीच करार या संविदा के कतिपय तत्व का होना अनिवार्य है यदि उसने बलपूर्वक भूमि को अधिभोग में लिया हो।

अतः काश्तकार का दर्जा पाने के लिए (1) उस भूमि में कुछ हित होना चाहिए और (2) उस भूमि के लिए लगान देना जरूरी है। इस कसौटी पर भू-धारक (Tenure holder) भी एक काश्तकार (Tenant) है।

बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा-5 में रैयत (Raiyat) शब्द की परिभाषा है — वह व्यक्ति, जिसने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या भाड़े पर रखे गये नौकरों द्वारा, या भागीदारों की सहायता से खेती करने के प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, तथा इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के हित-उत्तराधिकारी भी हैं, जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया हो।

अतः कोई काश्तकार (Tenant) रैयत है या नहीं इसके लिए काश्तकारी के उद्देश्य को देखना होगा। अगर काश्तकारी (Tenancy) का उद्देश्य खेती करना है तो वह रैयत कहलायेगा अन्यथा वह दूसरे श्रेणी के काश्तकार के रूप में जाना जायेगा।

काश्तकार और रैयत में भेद (Distinguish between 'Tenant' and 'Raiyat'):—

काश्तकार (Tenant) तथा रैयत (Raiyat) में निम्नलिखित अन्तर है —

(1) काश्तकार (Tenant) दूसरे व्यक्ति के अधीन भूमि के धारण के बदले वह उस दूसरे व्यक्ति को लगान (rent) देता है।

Scanned with CamScanner

रैयत भी दूसरे व्यक्ति के अधीन स्वामी (Proprietor) या भू-धारक (Tenure holder) के अधीन भूमि धारण करता है परन्तु वह भूमि उस उद्देश्य से धारण करता है कि वह स्वयं या नौकरों या मजदूरों द्वारा खेती करे अर्थात रैयत का मुख्य लक्ष्य खेती करना होना चाहिए।

(2) काश्तकार (Tenant) एक जातीय (Generic) पद है। रैयत (Raiyat) काश्तकार (Tenant) की एक उपजाति है।

(3) काश्तकार (Tenant) तथा रैयत (Raiyat) के बीच मुख्य अन्तर काश्तकारी (Tenancy) के उद्देश्य को लेकर है। अगर जमीन धारण का उद्देश्य खेती करना है तो काश्तकार (Tenant) रैयत कहलायेगा अन्यथा नहीं।

:—

Q.-3: What do you understand by Occupancy and settled Raiyat? अधिभोगी रैयत एवं बन्दोबस्त रैयत से आप क्या समझते हैं?

Ans.— अधिभोगी रैयत (Occupancy Raiyat) — अधिभोगी रैयत का तात्पर्य उस रैयत से है, जिसे भूमि पर कब्जा बनाये रखने का तथा उस भूमि को किसी किसी भी तरीके से भोगने का अधिकार प्राप्त होता है। उसे भूमि से बेदखल एक ही शर्त पर किया जा सकता है कि अधिभोगी रैयत उस भूमि का भोग-उपयोग इस तरीके से किया हो कि वह भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई हो बल्कि उस भूमि का वर्तमान स्वरूप को ही नष्ट कर दिया गया हो। अधिभोगी अधिकार को उत्तराधिकार द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और यह अधिकार अन्तरणीय भी है।

बन्दोबस्त रैयत (Settled Raiyat) — बन्दोबस्त रैयत का तात्पर्य उस व्यक्ति से होता है, जिसने किसी गाँव की भूमि पट्टे पर या किसी अन्य तरीके से लगातार बारह वर्षों तक रैयत के रूप में जोत-आबाद किया हो। अर्थात लगातार बारह वर्षों की कालावधि के लिए रैयत के रूप में धारित किया हो, उस कालावधि के अवसान के बाद उस गाँव का बन्दोबस्त रैयत का हैसियत प्राप्त कर लेता है। यह एक स्वअर्जित हैसियत है तथा इसे उत्तराधिकार के रूप में नहीं पाया जा सकता है। यह अहस्तान्तरणीय है। कोई व्यक्ति जैसे ही बन्दोवस्त रैयत का हैसियत प्राप्त करता है, उसे अधिभोगी अधिकार (occupancy right) प्राप्त हो जाता है।

Q.-3: Distinction between Occupancy raiyat and settled raiyat. अधिभोगी रैयत तथा बन्दोवस्त रैयत में अन्तर:—

(i) सभी बन्दोवस्त रैयत अधिभोगी रैयत हैं। परन्तु सभी अधिभोगी रैयत बन्दोवस्त रैयत नहीं होते हैं।

Scanned with CamScanner

11-05-2020

(3) Pt.Lec.-Keshav Kumar shrivastava
College - R.M.M. Law College, Saharsa.
L.L.B. Part IIIrd, Land Law, IVth Paper.

(2) बन्दोवस्त रैयत की हैसियत तभी प्राप्त होती है, जब कोई व्यक्ति लगातार बारह वर्षों तक किसी गाँव में रैयत की तरह खेती करता है। परन्तु अधिभोगी रैयत के लिए यह आवश्यक नहीं है।

(3) बन्दोवस्त रैयत की हैसियत स्वअर्जित होती है तथा इसे उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि - अधिभोगी रैयत की हैसियत उत्तराधिकार के द्वारा या हस्तान्तरण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है।

(4) बन्दोवस्त रैयत का क्षेत्र अधिभोगी रैयत की तुलना में व्यापक है, क्योंकि सभी बन्दोवस्त रैयत अधिभोगी रैयत होता है परन्तु सभी अधिभोगी बन्दोवस्त रैयत नहीं होता है।

—:—

Scanned with CamScanner